राज्य में किराये पर मकान लगाने वालों से व्यावसायिक कर वसूलने के लिए जुलाई के अंत तक नई टैक्स प्रणाली

किराये पर मकान है, दीजिए ज्यादा टैक्स

खाली जमीन का भी देना होगा टैक्स

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

शहरी इलाके में मकान किराये पर लगाने वालों से भी व्यावसायिक कर की वसूली होगी। साथ ही शहरी इलाकों में खाली जमीन को भी टैक्स के दायरे में लाया जायेगा। नगर निकायों की आमदनी बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने नये टैक्स लगाने की तैयारी कर ली है। जुलाई के अंत तक नयी टैक्स प्रणाली को लागू कर दिया जायेगा। वर्ष 1993 के बाद पहली बार सरकार राज्य के नगर निकाय क्षेत्रों में संपत्ति कर में बढ़ोतरी की तैयार कर रही है।

मंगलवार को उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि शहरों में संपत्ति कर मिलने की पर्याप्त संभावना है। पटना नगर निगम क्षेत्र में ही सालाना सौ करोड़ रुपये टैक्स मिल सकता है लेकिन निगम 19-20 करोड़ रुपये ही वसूल पाता है। शहरी इलाके में बड़ी संख्या में लोग किराये पर रहते है। ऐसे मकान मालिकों से सरकार को सिर्फ आवासीय टैक्स मिलता है जबकि मकान का व्यावसायिक उपयोग हो रहा होता है। इसलिए अब मकान की छत के जितने हिस्से का व्यावसायिक इस्तेमाल होगा, उतने क्षेत्र पर व्यावसायिक टैक्स लगेगा। इसी प्रकार खाली जमीन से नगर निकायों को टैक्स नहीं मिलता है। शहरी इलाकों में अब ऐसी जमीन जहां लम्बे समय तक निर्माण नहीं हुआ है। उसके मालिक से भी बतौर संपत्ति कर 'वैकेंट लैण्ड टैक्स' वसूला जायेगा। बिल्डरों पर शिकंजा कसने के लिए उन्हें नगर निकायों में रजिस्ट्रेशन कराने का प्रावधान किया जा रहा है।

हिन्दुस्तान नया नजरिया

खाली जमीन को भी टैक्स दायरे में लाने से जमीन के कारोबार में वारे-न्यारे करने की गतिविधियों पर रोक लगेगी। शहर और आसपास के इलाकों में कम कीमत पर जमीन खरीदकर ऊंची कीमत पर बेचने का चलन आम है। वैसे सरकार को यह देखना होगा कि कारोबारी-दलाल नया खेल न शुरू कर दे। खाली जमीन की सिर्फ चहारदीवारी करके अथवा कच्चा निर्माण करके टैक्स बचाने की कवायद पर रोक लगाने के पुख्ता इंतजाम करने होंगे।

देखें पेज-5 और 6 भी

बनेगा कानून

- मनमाने तरीके से मोबाइल टावर लगाने पर रोक के लिए बनेगा कानून
- स्कूल-अस्पताल के सौ मीटर के दायरे में नहीं लगेंगे टावर
- टावर का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, साथ ही देना होगा सालाना टैक्स
- टावर वाले मकान पर भी लगेगा व्यावसायिक टैक्स
- कंपनी को टावर के सुरक्षित होने का देना होगा प्रमाण पत्र